<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>20.06.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत मुंबई में तलाशी अभियान चलाया, जिसमें टीपी ग्लोबल एफएक्स द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण अवैध विदेशी मुद्रा व्यापार रैकेट का पर्दाफाश हुआ। तलाशी अभियान के दौरान, रुपये 34.5 लाख की नकदी और रुपये 27 लाख के समतुल्य विभिन्न विदेशी मुद्राएँ बरामद की गईं और उन्हें जब्त कर लिया गया। यह पता चला कि टीपी ग्लोबल एफएक्स, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए पंजीकृत या अधिकृत नहीं था। वास्तव में, इसे आरबीआई की अलर्ट सूची में शामिल किया गया था। आरबीआई ने 7 सितंबर, 2022 को अपंजीकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जुड़ने के विरुद्ध जनता को आगाह किया था।

ईडी ने मेसर्स टीएम ट्रेडर्स और मेसर्स केके ट्रेडर्स के खिलाफ आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत कोलकाता पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जाँच शुरू की।

ईडी की जाँच से पता चला कि प्रसेनजीत दास और तुषार पटेल जैसे व्यक्तियों द्वारा कई फर्जी कंपनियों का उपयोग करके निवेशकों को टीपी ग्लोबल एफएक्स के माध्यम से विदेशी मुद्रा व्यापार निवेश पर उच्च रिटर्न का वादा करके एक धोखाधड़ी वाली योजना में फंसाने के लिए एक परिष्कृत साजिश रची गई थी। इसके अतिरिक्त, आईएक्स ग्लोबल (IXGlobal) के निदेशक और प्रमोटर, अर्थात् विराज सुहास पाटिल और जोसेफ मार्टिनेज ने सक्रिय रूप से टीपी ग्लोबल एफएक्स को अपने पसंदीदा ब्रोकर के रूप में बढ़ावा दिया। आईएक्स ग्लोबल (IXGlobal) के सदस्यों और उपयोगकर्ताओं ने अपने विदेशी मुद्रा व्यापार गतिविधियों के लिए टीपी ग्लोबल एफएक्स ब्रोकरेज सेवाओं का उपयोग किया।

ईडी की जाँच से यह भी पता चला कि निवेशकों से एकत्र किए गए धन को अभियुक्तों की व्यक्तिगत संपत्ति खरीदने के लिए डायवर्ट किया गया था। यह जटिल तरीकों के माध्यम से पूरा किया गया था, जिसमें नकली खातों के माध्यम से धन को फ़नल करना और पूर्ण विकसित मनी चेंजर्स (एफएफएमसी) की सेवाओं को शामिल करना शामिल था, जिनमें से कुछ के लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा रद्द कर दिए गए थे।

इससे पहले, ईडी ने शैलेश कुमार पाण्डेय, प्रसेनजीत दास और विराज सुहास पाटिल को गिरफ्तार किया था और नकदी, सोना, रियल एस्टेट, आतिथ्य प्रतिष्ठान, वाहन, क्रिप्टो मुद्राएं और बैंक बैलेंस सहित रुपये 263 करोड़ की संपत्ति जब्त/फ्रीज़/कुर्क की थी। गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ दो

अभियोजन शिकायतें पहले ही दर्ज की जा चुकी हैं, जिनमें माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।